कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला- आगर-मालवा

किराये के वाहनों हेतु निविदा दस्तावेज

वर्ष **2026-27**

निविदा निर्देश एवं मार्गदर्शक सूचनायें प्रारूप

1. निविदा निम्न को प्रस्तुत की जावेगी :-

(अ) जिला कार्यक्रम अधिकारी,
महिला एवं बाल विकास,
जिला- आगर मालवा

2. कार्य का प्रकारः-महिला बाल विकास परियोजनाओं में किराये के वाहन लिये जाने के संबंध में ।

निविदाकार द्वारा कार्यालय महिला बाल विकास परियोजना आगर /बड़ोद /सुसनेर /नलखेडा तथा वन स्टॉप सेन्टर में वाहन उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्यालयवार पृथक-पृथक निविदा निर्धारित प्रपत्र में mp tander ऑनलाइन की जावेगी । निविदा संबंधी दिशा निर्देश तथा शर्ते निविदा स्वीकृति की स्थिति में निष्पादित किये जाने वाले अनुबंध के भाग/अंग माने जावेंगे।

3. निविदा दस्तावेज प्राप्त करनाः-

निविदा दस्तावेज mp online potal से राशि रू. 500/- जमा करने पर कार्यालयीन समयावधि में दिनांक 13.05.2026 से 20.05.2026 सांय 5.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकेगा ।

4. निविदा प्रस्तुत करना:-

4.1 निविदाकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही निविदा mp tander ऑनलाइन निम्नानुसार प्रस्तुत करना होगा ।

निविदा दस्तावेज के साथ के प्रारूप संलग्न किए गए है ।

4.2 निविदाकार द्वारा तदानुसार तैयार कर (टेकनिकल बिड के रूप में) में निम्न दस्तावेज / सहपत्र प्रस्तुत किए जावेगें ।

1. निविदाकार द्वारा हस्ताक्षरित निविदा निर्देश एवं मार्गदर्शन सूचनाऐं । (निविदा दस्तावेज से निविदा निर्देश एवं मार्गदर्शक सूचनाएं के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर किया जायेगा ।)
2. निविदाकार द्वारा हस्ताक्षरित निविदा प्रपत्र ।
3. निविदा दस्तोवज के साथ संलग्न परिशिष्ट क्र.06 के अनुसार रू.100/- के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित मूल शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

4.3 निविदाकार द्वारा (फाइनेन्शियल बिड के रूप में) निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किए जावेगें । निविदा फार्म (परिशिष्ट क्र.05) को विधिवत् पूर्ण रूप से भरकर निविदाकार द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर सील लगाकर हस्ताक्षर किए जावेगें । इसमें निर्धारित फार्म के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज नही रखा जावें ।

5. किराये के वाहनों की दरें :-

5.1 शासन द्वारा प्रत्येक बाल विकास परियोजना में किराये की अधिकतम दर 37500/- (सैंतीस हजार पांच सौ रू.) प्रति वाहन निर्धारित की गई हैं । उक्त दर में डीजल की राशि भी सम्मिलित है कुल राशि रूपये 37500/- (सैंतीस हजार पांच सौ रू.) अधिकतम भुगतान की जा सकेगी ।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला-आगर मालवा (म.प्र.)

5.2 निविदा फार्म में दरें अंको एवं शब्दों में सुवाच्य एवं साफ-साफ लिखी जाना चाहिए । उपरिलेख (कांट-छांट) सामान्यतः न की जाए यदि की जाती है तो उसे पूर्ण हस्ताक्षर से अभिप्रमाणित किया जाए अन्यथा निविदा अस्वीकृत की जा सकती है । फार्म के प्रत्येक खाने को स्पष्ट रूप से भरे जो सम्बन्धित न हो उसके सामने क्रास का चिन्ह लगाए । विधिवत रूप से भरे गए फार्म को रखकर सीलकर हस्ताक्षर किए जावें ।

6. अमानत राशि (अर्नेस्ट मनी) :-

6.1 निविदाकार यदि 01 परियोजना हेतु निविदा डालता है तो उसे राशि रू. 25000/- (रूपये पचीस हजार) का बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक / एफडी यदि 03 से अधिक परियोजनाओं हेतु निविदा डालता है तो उसे राशि रू.200000/- (रूपये दो लाख) का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक / एफडी जो कि जिला कार्यक्रम अधिकारी जिला आगर मालवा के नाम से हो, संलग्न करेगा ।

6.2 यदि निविदाकार अपना निविदा फार्म प्रस्तुत करने के बाद मुकर जाता है या हटता है, या अपने प्रस्ताव में और / या उसकी शर्तो तथा नियमों में कोई संशोधन करता है, तो अमानत राशि (अर्नेस्ट मनी) बिना किसी अन्य आदेश के स्वतः ही जप्त हो जायेगी अथवा / तथा जप्त मानी जायेगी । ऐसी जप्ती की सूचना निविदाकार को पृथक से देना आवश्यक नही होगा।

6.3 निविदाकार द्वारा उसका निविदा फार्म स्वीकृत होने के बाद निर्धारित अवधि तक वांछित अभिलेख एवं निदिष्टि प्रतिभूति राशि आदि जमा कर, अनुबंध करने में असफल होने की स्थिति में भी अमानत राशि (अर्नेस्ट मनी) जप्त कर ली जावेगी साथ ही निविदाकार के विरूध्द ब्लैक लिस्ट की कार्यवाही की जा सकेगी ।

6.4 सफल निविदाकार की अमानत राशि (अर्नेस्ट मनी) प्रतिभूति राशि में समायोजित कर ली जावेगी तथा समस्त अन्य असफल निविदाकारों की निविदा पर विचार कर लेने के बाद नियमानुसार वापस कर दी जावेगी ।

6.5 निर्धारित तिथि एवं समय के बाद कोई भी निविदा स्वीकार नही की जावेगी ।

6.6 निविदा दिनांक 22.05.2026 साय 5.00 बजे निर्धारित समिति के समक्ष निविदाकारो की उपस्थिति में खोली जाएगी ।

7. निविदाकर्ता के पास स्वामित्व एवं अनुबंधित न्यूनतम वाहनों की उपलब्धता :-

तकनीकी बिड में सफल होने के लिए निविदाकार के पास स्वयं के या फर्म के या दोनो मिलाकर व अनुबंधित, न्यूनतम 3 वाहन मध्यप्रदेश टैक्सी परमिट के होने चाहिए तथा सक्षम प्राधिकारी से उनकी फिटनेस भी प्रमाणित होनी चाहिए । इन वाहनों में से न्यूनतम 1 वाहन स्वयं / स्वयं की फर्म का होना अनिवार्य है । अनुबंधित वाहनों का अनुबंध न्यूनतम एक वर्ष तक की अवधि का होना अनिवार्य है ।

8. अनुभव :-

8.1 निविदाकार/फर्म/कंपनी के पास भारत सरकार/भारत सरकार के प्रतिष्ठान / मध्यप्रदेश

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला-आगर मालवा (म.प्र.)

शासन/मध्यप्रदेश शासन के प्रतिष्ठान या अन्य व्यावसायिक योग्य प्रतिष्ठान में वाहन लगाने का 01 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है ।

8.2 निविदा हेतु प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र निविदा सूचना दिनांक से 05 वर्ष की पूर्व की अवधि तक का होना चाहिए, अन्यथा इसे मान्य नही किया जावेगा । अनुभव प्रमाण पत्रों में कार्य के भुगतान की राशि व कार्य के संतोषजनक होने का प्रमाणन होना चाहिए ।

9. निविदा फार्म भरने की प्रक्रिया :-

9.1 निविदाकार निविदा दस्तावेज की दो प्रतियां पूर्ण रूप से विधिवत् भरकर एक प्रति निविदा के रूप में प्रस्तुत करेगा तथा दूसरी प्रति अपने पास रखेगा । निविदाकार निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा ।

9.2 निविदाकार द्वारा निविदा फार्म में वाहन की दरें (डीजल सहित) सुस्पष्ट रूप से अंकित करना अनिवार्य होगा ।

9.3 स्वीकृत दरों के अतिरिक्त निविदाकर्ता को किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नही किया जाएगा ।

9.4 निविदाकार को निविदा में कोई शर्त शामिल नही करना चाहिए । सशर्त निविदा विचार योग्य नही होगी ।

9.5 निविदा खुलने के पश्चात् निविदाकारों में स्वयमेव दर / शर्त संबंधी प्रस्तुत किये जाने वाले किसी भी आवेदन पत्र पर विचार नही किया जावेगा । किसी भी निविदा को बिना कारण बतायें पूर्ण/आंशिक मान्य / अमान्य करने का अधिकार जिला कलेक्टर/उनके द्ववारा अधिकृत प्राधिकारी को होगा ।

9.6 निविदाकार द्वारा निविदा प्रस्तुत करने का यह अभिप्राय माना जायेगा कि निविदाकार ने निविदा की सभी शर्त, नियम व कार्यपद्यति आदि समझ ली है और उन्हें स्वीकार कर लिया है । अतः किराये के वाहन लगाये जाने संबंधित समस्त जानकारियाँ कार्य स्थिति समझकर पूर्ण संतुष्टि पश्चात् प्रतिस्पर्धात्मक दरें भरें ।

10. निविदा फार्म पर हस्ताक्षर :-

10.1 निविदा फार्म एवं उसके साथ संलग्न निविदा निर्देश के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकार द्वारा हस्ताक्षर करना अनिवार्य है ।

10.2 निविदा फार्म पर हस्ताक्षर कर रहा / कर रहे व्यक्ति यह बतायेगें कि वह या वे किस हैसियत से निविदा,फार्म पर हस्ताक्षर कर रहे है अर्थात फर्म के पूर्ण / स्वामी के रूप में या मर्यादित कंपनी के सचिव / प्रबन्धक / संचालक आदि के रूप में ।

11. निविदा का खोला जाना :-

11.1 जिला कार्यालय द्वारा गठित कमेटी के समक्ष निर्धारित दिनांक एवं समय पर प्राप्त निविदाएं जिला कार्यालय में खोली जावेगी । निविदाएं खोलते समय निविदाकार अथवा उनके

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग

प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है ।

11.2 यदि निविदा खोलने के लिये निर्धारित तारीख को बाद में अवकाश घोषित किया जाता है तो निविदा अवकाश के बाद अगले कार्य दिवस को खोली जावेगी, निविदा खोलने के लिये उपरोक्त दर्शाये समय में कोई परिवर्तन नही होगा ।

11.3 निविदाकारों की निविदाओं के खोले जावेगें एवं उनकी सूची तैयार की जावेगी जिसमें निविदाकार की दरों का उल्लेख होगा ।

11.4 आवश्यकता होने पर कमेटी द्वारा न्यूनतम दर वाले निविदाकार से नेगोसिएसन किया जा सकेगा।

12 निविदाकार का चयनः-

12.1 निविदाकर्ता कार्यालय बाल विकास परियोजना आगर /बड़ोद /सुसनेर /नलखेडा एवम वन स्टाफ सेंटर आगर के लिये पृथक-पृथक निविदाएं दरें प्रस्तुत करें । निविदाकर्ताओं को कार्यालयवार पृथक-पृथक कार्य निविदा दर न्यूनतम होने पर प्रदाय किया जावेगा ।

12.2 निविदाकर्ता समस्त कार्यालयों हेतु अलग-अलग दरें प्रस्तुत करेंगे।

13. प्रतिभूति राशि :-

13.1 निविदाकार यदि 01 परियोजना हेतु निविदा डालता है तो उसे राशि रू. 25000/- (रूपये पचीस हजार) का बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक / एफडी यदि 03 से अधिक परियोजनाओं हेतु निविदा डालता है तो उसे राशि रू.200000/- (रूपये दो लाख) का बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक / एफडी जो कि जिला कार्यक्रम अधिकारी आगर के नाम से हो, संलग्न करेगा । प्रतिभूति राशि के आभाव में स्वीकृत निविदा पर विचार नही किया जायेगा

13.2 प्रतिभूति राशि में किसी प्रकार का पृथक से कोई ब्याज देय नही होगा । कार्य समाप्ति के पश्चात् संतोषप्रद स्थिति रहने पर उक्त जमा राशि संस्था को वापिस की जा सकेगी ।

14. अनुबंध निष्पादित करना :-

14.1 जिला कार्यालय द्वारा जिस निविदाकार की निविदा स्वीकृत की जावेगी उसे जिला कार्यक्रम अधिकारी की ओर से सूचना मिलने पर 03 दिवस की अवधि में निर्धारित प्रतिभूति राशि जमा कर निर्धारित अनुबन्ध एवं फर्म / कम्पनी के पंजीयन फार्म की सत्यप्रतिलिपि के साथ जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर राशि रू.100/- के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित करना आवश्यक होगा । अनुबन्ध का निर्धारित प्रारूप जिला कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है । निर्दिष्ट समयावधि में अनुबन्ध निष्पादित नही करने पर प्रथम क्रम पर सफल निविदाकार का अवसर समाप्त कर दिया जावेगा । सफल निविदाकार को आवश्यक दस्तावेज भी अनुबंध के समय प्रस्तुत करना होंगे अन्यथा अनुबंध निष्पादित नही होगा ।

14.2 निर्दिष्ट समयावधि में अनुबंध न होने पर सफल निविदाकार से आगामी क्रम अनुसार न्यूनतम दर पर अनुबंध हेतु पहल कर सकेगा तथा सफल प्रथम निविदाकर्ता का अनुबंध

जिला कार्यक्रम अधिकारी
[illegible]
जिला-आगर मालवा (म.प्र.)

अवसर समाप्त कर दिया जावेगा व अमानत राशि स्वमेव राजसात हो जावेगी ।

14.3 अनुबन्ध की अवधि एक वर्ष तक मान्य रहेगी, विशेष परिस्थितियों में इसे आगामी आदेश तक नई निविदा जारी होने तक बढ़ाया जा सकता है किन्तु यह समयावधि अनुबन्ध समाप्ति तिथि से 3 माह से अधिक नहीं होगी । यह दो बार 3-3 माह के लिए बढ़ाई जा सकेगी ।

14.4 विशेष परिस्थिति में जिला कलेक्टर को यह अधिकार रहेगा कि वह किराये के वाहनों के अनुबंध को 15 दिवस के नोटिस पर निरस्त / समाप्त कर सकेगा ।

14.5 निविदा में अनुमोदित दरें अंतिम होगी जो अनुबंध की निर्धारित अवधि तक लागू रहेगी। इस अवधि में पेट्रोल / डीजल या किसी अन्य की दरो में बढ़ोत्तरी के आधार पर अनुमोदित दरों में परिवर्तन नहीं किया जावेगा ।

14.6 निविदा प्रस्तुत करने का अर्थ होगा कि निविदाकार ने समस्त शर्तो को भली भांती पढ़कर एवं समझकर निविदा में दरें प्रस्तुत की है तथा उसे वर्णित समस्त नियम एवं शर्ते मान्य है ।

15 निविदा दर की वैद्यता अवधि:-

न्यूनतम दर वाले निविदाकर्ता द्वारा दी गई दर की वैद्यता अवधि निविदा खोलने की तिथि से अधिकतम 07 दिवस रहेगी । यदि 07 दिवस के अंदर निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध नही किया जाता है तो ऐसी निविदा निरस्त कर दी जावेगी ।

16. निविदाकर्ता के उत्तरदायित्व :-

16.1 सफल निविदाकर्ता द्वारा नियोजित प्रत्येक वाहन चालक को भुगतान करने की जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी । निविदाकर्ता द्वारा नियोजित वाहन चालक सभी अर्थो में निविदाकर्ता के ही कर्मचारी होगें तथा उसके सभी वैद्यानिक दायित्वों के निर्वाहन / भुगतान हेतु एवं कार्य के दौरान किसी भी दुर्घटना का उत्तरदायित्व निविदाकर्ता का होगा ।

16.2 सफल निविदाकर्ता कार्य से संबंधित सभी विद्यमान नियम अधिनियमों के पालन करने हेतु पूर्णतः जिम्मेदार रहेगा । निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त भी शासन द्वारा संशोधित होने वाले नियम / अधिनियमों का पालन करना वाहन मालिक पर बंधनकारी होगा ।

16.3 सफल निविदाकर्ता का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह किराये पर संलग्न किये गये वाहनों के वाहन चालकों व अन्य समस्त श्रमिकों / कर्मचारियों पर लागू होने वाले सभी नियमों अधिनियमों के पालन सुनिश्चित् करेगा ।

16.4 वाहन चलाने के दौरान किसी भी दुर्घटना से होने वाली क्षतिपूर्ति का उत्तरदायित्व निविदाकर्ता का होगा । निविदाकर्ता के किसी कर्मचारी / श्रमिक द्वारा किए गए कृत्यों के लिए भी निविदाकर्ता जिम्मेदार होगा ।

16.5 वाहन चलाने के दौरान किसी भी प्रकार के व्ययों का भुगतान निविदाकर्ता द्वारा किया जावेगा।

16.6 यह कार्य अहस्तांतरणीय है । जिस निविदाकार को यह कार्य स्वीकृत किया जायेगा,

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला–आगर मालवा (म.प्र.)

उसे ही यह कार्य अपने नाम से करना होगा । उसके द्वारा उक्त कार्य अन्य फर्म को उप पट्टे पर नही दिया जा सकेगा ।

17. पैनल्टी :-

17.1 निविदाकार स्वीकृत दरों पर समयावधि में वाहन नहीं उपलब्ध कराता है तो जिला कार्यक्रम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह अनुबंधित निविदाकार की रिस्क एण्ड कास्ट पर अन्य इच्छुक वाहन मालिकों से कार्य करा लें तथा उक्त कार्य पर अधिक भुगतान की गई राशि निविदाकार की प्रतिभूति राशि से काट ली जावें । प्रतिभूति राशि से प्रतिपूर्ति न होने पर विभाग द्वारा वसूली हेतु वैद्यानिक कार्यवाही की जावेगी ।

18. देयकों के भुगतान की प्रक्रिया :-

18.1 निविदाकर्ता को अनुबंध अनुसार प्रतिमाह अपना देयक संबंधित परियोजना अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा । परियोजना अधिकारी द्वारा परीक्षण कर अनुशंसा सहित देयक जिला कार्यक्रम अधिकारी को भुगतान हेतु प्रेषित किया जावेगा ।

18.2 निविदाकर्ता को देयक राशि का भुगतान ई पेमेंट के माध्यम से किया जावेगा, इस हेतु निविदाकर्ता को बैंक खाता क्रमांक आदि कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा ।

19. निविदा की शर्ते :-

19.1 फर्म / संस्थाओं का व्यावसायिक वाहनों के परिचालन हेतु ट्रेवल एजेंसी का वैद्य जीवित पंजीयन, सेवा कर सहित एवं जीएसटी होना अनिवार्य है तथा ट्रेवल एजेंसी अथवा संस्था के पास स्वयं के या फर्म के या दोनो मिलाकर व अनुबंधित, न्यूनतम 3 वाहन मध्यप्रदेश टैक्सी परमिट के होने चाहिए तथा सक्षम प्राधिकारी से उनकी फिटनेस भी प्रमाणित होनी चाहिए । इन वाहनों में से न्यूनतम 1 वाहन स्वयं / स्वयं की फर्म का होना अनिवार्य है । अनुबंधित वाहनों का अनुबंध न्यूनतम एक वर्ष तक की अवधि का होना अनिवार्य है ।

19.2 जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा आवश्यक होने पर कलेक्टर के अनुमोदन से एक ही फार्म अथवा पृथक-पृथक फर्म को कार्य दिया जा सकता है, इसमें निविदाकार की कोई आपत्ति मान्य नही होगी ।

19.2 किसी भी निविदा को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से स्वीकार/ अस्वीकार करने का अधिकार जिला कलेक्टर को होगा ।

19.3 निविदाकार निविदा में अलग से कोई शर्त सम्मिलित नही कर सकेगा । सशर्त निविदा विचार योग्य नहीं होगी । एक बार निविदा प्रस्तुत करने के पश्चात् निविदाकार के द्वारा दर संबंधी प्रस्तुत किसी भी आवेदन पर विचार नही होगा ।

19.4 निविदाकार द्वारा निविदा प्रस्तुत करने का यह अभिप्राय माना जावेगा कि निविदाकार ने निविदा की सभी शर्तो एवं कार्य पद्वति, परिवहन की दूरियां आदि समझ ली है और उन्हें स्वीकार कर लिया है ।

19.5 परिवहन मार्ग में लगने वाले पथकर (टोल टैक्स) आदि वहन करने की जवाबदारी

जिला कार्यक्रम अधिका
महिला एवं बाल विकास
जिला–आगर मालवा (म

निविदाकार की होगी ।

19.6 भारत सरकार/म.प्र. सरकार द्वारा निर्धारित आयकर व अन्य करों की कटौती नियमानुसार निविदाकार के देयकों से की जावेगी ।

19.7 निविदाकर्ता का वाहन क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में टैक्सी कोटे में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है । वाहन में डीजल की खपत शासन द्वारा जारी एवरेज के मापदंड के अनुरूप होगी परंतु वाहन का एवरेज 10 किमी. प्रति ली. से कम नहीं होगी । 10 किमी. प्रति लीटर से एवरेज कम होने पर निविदाकर्ता से राशि वसूल की जावेगी ।

19.8 निविदाकर्ता द्वारा किराये के वाहन के रूप में डीलक्स एवं लग्जरी गाड़ियां उपलब्ध कराना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा ।

19.9 निविदाकार द्वारा वाहन चालक सहित ही वाहन उपलब्ध कराया जायेगा ।

19.10 किराये की अवधि में डीजल को छोड़कर वाहन में अन्य सभी प्रकार के मरम्मत, टायर, टयूब, बैटरी आदि के व्यय की संपूर्ण जिम्मेदारी वाहन निविदाकार की होगी ।

19.11 वाहन चालक के पास नियमानुसार वैद्य ड्रायविंग लायसेंस होना अनिवार्य है । वाहन का पंजीकरण, बीमा, फिटनेस व वाहन से संबंधित अन्य सभी प्रकार के वैधानिक दस्तावेज होना आवश्यक होगा । वाहन से किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर वाहन का स्वामी उसके लिये पूर्ण उत्तरदायी होगा तथा वाहन चालक के वेतन के साथ-साथ समस्त खर्चे का वहन करने का उत्तरदायित्व निविदाकार का होगा ।

19.12 वाहन के मासिक किराये का भुगतान अनुमोदित दरों के अनुसार किया जायेगा । शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमानुसार कर पृथक से देय होगें ।

19.13 निविदाकार द्वारा उपलब्ध कराया गया वाहन वर्ष 01 april 2023 के पूर्व का पंजीकृत नहीं होना चाहिए ।

19.14 वाहन खराब होने की स्थिति में उपयोगकर्ता अधिकारी को सामान्यतः 2 घंटे में सुधार कराकर उपयोग हेतु वाहन उपलब्ध कराना होगा। वाहन 2 घंटे से अधिक खराब रहने पर उस दिन का किराया नहीं दिया जायेगा ।

19.15 वाहन सेल्फ स्टार्ट होना आवश्यक है । वाहन में स्टेपनी चारों पहियों के टायर ट्यूब व माइलो मीटर उत्तर एवं चालू हालत में होने की जिम्मेदारी वाहन प्रदायकर्ता की होगी ।

19.16 सफल निविदाकार से भारतीय स्टाम्प पर अनुबंध करने पर होने वाले व्यय भार को निविदाकार द्वारा ही वहन किया जावेगा ।

19.17 अनुबन्ध निर्धारित अवधि दिनांक 31.05.2027 तक ही वैद्य रहेगा । विशेष परिस्थिति में अनुबंध की अवधि जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा दोनों पक्षों की आपसी सहमति से केवल आगामी एक माह की अवधि के लिये बढ़ाई जा सकती है ।

19.18 अनुबंध की अवधि में कोई निश्चित कार्य देने की गारन्टी जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय की नही रहेगी ।

19.19 निविदाकार द्वारा कार्यालय महिला बाल विकास परियोजना आगर /बड़ौद /सुसनेर

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभा
जिला–आगर मालवा (म.

/नलखेडा एवम वन स्टाप सेंटर आगर में संलग्न किये गये वाहनों को सवारी वाहन के रूप में उपयोग नहीं किया जायेगा ।

19.20 निविदाकार का यह दायित्व होगा कि वह वाहन कार्य में संलग्न किये गये वाहन चालकों का पुलिस वेरीफिकेशन करायेगा तथा अनुबंध होने के 15 दिवस के भीतर जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एंव बाल विकास जिला आगर मालवा में प्रस्तुत करेगा ।

19.21 निविदाकार, जिला अधिकारी से अनुबंध करते समय अपने फर्म पर कार्यरत अधिकृत कर्मचारी के नमूने के हस्ताक्षर प्रमाणित कर जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेगें ।

19.22 निविदा के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य

1. अहस्तांतरित निविदा प्रपत्र |
2. संस्था के पंजीयन की छायाप्रति ।
3. संस्था का क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में पंजीयन की प्रति ।
4. संस्था / प्रोपराइटर की पैन कार्ड की सत्यापित छाया प्रति ।
5. कार्य अनुभव की छाया प्रति ।
6. वाहनों के पंजीयन की छाया प्रति ।
7. वाहनों के जीवन बीमा की छाया प्रति ।
8. वाहनों के फिटनेस की छायाप्रति ।

19.15 निविदादाता को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि परिवहनकर्ता को राज्य शासन / केन्द्र शासन / राजकीय / शासकीय उपक्रम / निगम / मण्डल एवं अन्तराष्ट्रीय संस्था द्वारा किराये पर वाहन लगाने के कार्य के लिये प्रतिबंधित नही किया गया है । (ब्लेक लिस्ट)

19.16 निविदा हेतु समस्त प्रकार के लायसेंस केवल मध्यप्रदेश के ही मान्य होगें ।

उपरोक्त सभी दस्तावेज में रखें । कृपया निविदा प्रपत्र के हर पृष्ठ पर हस्ताक्षर करें ।

20. विवादों का निपटान :-

20.1 किसी भी विवाद की स्थिति में सर्वप्रथम प्रकरण जिला कलेक्टर को प्रस्तुत किया जायेगा। किसी भी विवाद को पूर्णतः या आंशिक स्वीकार अथवा अस्वीकार करना जिला कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र में होगा। जिसके लिये कोई कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा ।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला-आगर मालवा (म.प्र.)

जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास जिला- आगर मालवा (म०प्र०)
किराये पर वाहन लेने हेतु निविदा फार्म आवेदन का प्रारूप

प्रेषक ....
....
....

प्रति,
जिला कार्यक्रम अधिकारी,
महिला एवं बाल विकास,
जिला- आगर मालवा (म0प्र0)

जिला कार्यालय आगर मालवा अंतर्गत कार्यालय एकीकृत बाल विकास परियोजना आगर /बड़ोद /सुसनेर /नलखेडा एवम वन स्टाफ सेंटर आगर में वाहन उपलब्ध कराये जाने के लिये प्रकाशित निविदा सूचना को पढ़कर हमने / मैने कार्यालय में निर्धारित राशि जमा कर के निविदा फार्म क्रय किया है तथा निविदा आमंत्रण में दिये गये निर्देश, व नियमों में दिये गये विवरण को भलीभांती पढ़ लिया है और उसका पालन करने के लिये मैं / हम सहमत हूँ। जो दर हमने / मैने निविदा में दिया है । उसके अतिरिक्त हमे / मुझे कोई अन्य प्रभार देय नहीं होगा।

1. फर्म का नाम नाम एवं पता ....
2. फर्म का पता..................
3. फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि का नाम व मो0न0..................
4. फर्म के स्थापना का जीवित पंजीयन की प्रति....................
5. फर्म / स्थापना का क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति..............
6. जीएसटी नं.......................
7. शासकीय कार्यालय में व्यवासायिक वाहन लगाने
   का कार्यानुभव प्रमाण पत्र.......................................
8. एफ.डी.आर. का विवरण.....................

क्रमांक	राष्ट्रिय बैंक का नाम	क्रमांक	दिनांक	राशी

9. जिले का नाम.....................
10. परियोजना का नाम................
(जिसके लिये निविदा प्रस्तुत की जा रही)
11. निविदा फार्म का मूल्य रू.500/(पांच सौ मात्र) समस्त कर सहित
12. निविदा फार्म के मूल्य की प्राप्ती मनी रसीद नंबर.........................
दिनांक................

- हमारी/मेरी निविदा फर्म में उल्लेखित की गई दरें निविदा खुलने की तारीख से 60 दिन तक बैध रहेगी, जिसे मानने के लिये हम / मै बाध्य रहेंगे / रहूंगा ।
- यदि विभाग द्वारा संस्था / फर्म को कार्य सौंपा जाता है तो हम / मै निर्धारित अवधि में नियमानुसार प्रतिभूति राशि जमा करके निविदा प्रपत्र में उल्लेखित नियम एवं शर्तों के अनुरूप अनुबंध करने के

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग

लिये सहमत हूँ।

- हम / मै इसके द्वारा घोषित करते है / करता हूॅ कि निविदा फर्म तथा उसके साथ संलग्न परिशिष्टों में की गई प्रविष्टियां मेरे विश्वास एवं ज्ञान से तथ्यात्मक एवं सही है।
- हम / मै शपथ पूर्वक कथन करते है / करता हूॅ कि हमारे / मेरे द्वारा निविदा निर्देश एवं मार्गदर्शक सूचनाओं के सभी निर्देश पढ़ लिये है एवं इन निर्देशों से सहमत हूँ।

निविदाकार के हस्ताक्षर..............

हैसियत.......................

नाम............................

मुहर............................

दिनांक :-............

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला-आगर मालवा (म.प्र.)

परिशिष्ट क्रमांक-01

फायनेंशियल बिड हेतु प्रारूप

1. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास :-..
(नाम जिसके लिये निविदा फार्म दिया जा रहा है)...
2. फर्म/संस्था का नाम एवं पूरा पता ....
3. किराये के वाहनों की निविदा की सूचना के संदर्भ में मेरे द्वारा वाहन किराये हेतु निम्नानुसार दर दी जाती है।

क्रमांक	कार्यालय का नाम	प्रतिदिन दर (रू.)	मासिक दर (रू.)
1			

4. उपरोक्त दरें निविदा शर्तों की समस्त कण्डिकाओं को मान्य करते हुये दी गई है। कार्यादेश प्राप्त होते ही वाहनों को उपलब्ध करा दिया जावेगा । यदि कार्य आदेश मिलने के 48 घण्टे के भीतर वाहनों को उपलब्ध नहीं करता हूँ एवं 7 दिवस में पूर्ण नही करता हूँ तो विभाग नियमानुसार कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र होगा।

5. यदि किसी भी प्रकार का विवाद होता है, तो कलेक्टर का निर्णय अंतिम मान्य होगा ।

संलग्नः...................

दिनांक....................

स्थानः.....................

निविदाकार के हस्ताक्षर..............
नाम..
हैसियत......................................
मुहर...

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला–आगर मालवा (म.प्र.)

वाहन प्रदाय किये जाने हेतु शपथ.पत्र

(रूपये 1000/- के नॉ जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

मैं.....................आत्मज / आत्मजा / पत्नि ....आयु.....................
वर्ष निवासी......................शपथपूर्वक निम्नलिखित कथन करता हूँ:-

1. यह कि मेसर्स / श्री...... (प्रोप्रायटरशिप/फर्म/कम्पनी का नाम) ... .(प्रोप्रायटरशिप/फर्म/कम्पनी का नाम)संस्था है ।

2. यह कि,उक्त फर्म/कम्पनी प्रोप्रायटरशिप संस्था का रजिस्ट्रेशन नं................है।

3. यह कि मेरी निविदाकर्ता/फर्म/कंपनी को पूर्व में किसी भी प्रकार शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय / विभाग द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है ।

4. मैनें निविदा के सभी नियमों व शर्तों को सावधानी से पढ़ लिया है और समक्ष लिया है और मुझे उनका पालन करने में कोई आपत्ति नहीं हैं ।

5. उपर्युक्त आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई जानकारी / दस्तावेज में ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और प्रमाणित है । मैं / हम इस तथ्य से अच्छी तरह से अवगत है कि किसी भी झूठी सूचना / निर्मित दस्तावेज को प्रस्तुत करने पर फर्म तथा मेरे विरूध्द सक्षम कानून के तहत अभियोजन स्थापित किया जा सकता है तथा किसी स्तर में मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई निविदा को एक पक्षीय रूप से अस्वीकार / निरस्त किया जा सकता है तथा मेरे द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि राजसात की जा सकती है ।

6. यह शपथ पत्र असत्य पाये जाने पर तथा इस प्रकार की सूचना पाये जाने पर सक्षम अधिकारी द्वारा निविदा निरस्त करने एवं मुझ पर दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगें और उनका निर्णय एवं की गई कार्यवाही पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी ।

7. इस निविदा फार्म में मेरे द्वारा अंकित / घोषित समस्त जानकारियाँ तथ्यात्मक तथा पूर्णतः सत्य है तथा मेरे द्वारा सत्यापित छाया प्रतियाँ भी प्रस्तुत की है, इस हेतु मैं पूर्णतः जवाबदार हूँ ।

....
(शपथग्रहिता)

मैं उपरोक्त शपथग्रहिता सत्यापित करता हूँ कि उक्त शपथ - नत्र में दी गई समस्त जानकारी सही एवं सत्य है । सत्यापन आज दिनांक.....................को स्थान में किया गया ।

दिनांक-

....
(शपथग्रहिता)

Signature Not Verified
Digitally signed by RAJIV GUPTA
Date: 2026.05.15 17:26:26 IST
Location: Madhya Pradesh-MP

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला-आगर मालवा (म.प्र.)